विषय:— आत्मनिर्मर मध्य प्रदेश के संबंध में मंत्री समूह द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में आगामी 30 दिवस में प्रारम्भ की जाने वाले गतिविधियों के संबंध में।

प्रमुख सचिव म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की टीप कमांक 449/डी—8 दिनांक 22.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) में प्रदत्त निर्देशानुसार सुशासन सेक्टर से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त अनुशंसाओं पर आगामी 30 दिवस में परिणाम मूलक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

कृत कार्यवाही की साप्ताहिक समीक्षा प्रशासकीय अधिकारी स्तर से की जायेगी।

संलग्नः 1. प्रमुख सचिव महोदय की टीप

2. सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश दिनांक 21.9.2020 तीन पृष्ठ (संचालक द्वारा आदेशित)

> (विकास अवस्थी) प्रशासकीय अधिकारी

प्रति,

1. समस्त प्रकोष्ट / शाखा प्रभारी वाल्मी भोपाल।

2. निज सहायक, संचालक कक्ष वाल्मी भोपाल।

3. गार्ड नस्ती / वेबसाईट समिति, वाल्मी भोपाल।

प्रशासकीय अधिकारी

नेमी टीप युओ. क्रमांक डब्ल्यू-02/<u>क</u>.**5.**D.....िदिनांक **0** 2/11/2020 विषय :

आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के संबंध में मंत्री समूह द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में आगामी 30 दिवस में प्रारंभ की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में।

at ferm

संदर्भ: सा.प्रशा.वि. का पत्र क्र. एफ 11-12/2020/1/9 दिनांक 21.09.2020

-0-

विषयांतर्गत आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के संबंध में मंत्री समूह द्वारा प्रस्तुत विभाग से संबंधित अनुशंसाएं जिनमें आगामी 30 दिवस में गतिविधियां प्रारंभ की जाकर परिणाम मूलक कार्यवाही किया जाना है। सुशासन सेक्टर से संबंधित सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त अनुशंसाएं संलग्न कर प्रेषित हैं। कृपया इन अनुशंसाओं पर आगामी 30 दिवस में परिणाम मूलक कार्यवाही प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(सचिन सिन्हा) प्रमुख सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रति,

- ा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आर.आर.डी.ए.।
- 2. संचालक, पंचायतराज संचालनालय।
- 3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मनरेगा परिषद।
- 4. संचालक, वाल्मी।
- 5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एसआरएलएम।
- 6. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन।
- 7. संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन।
- 8. राज्य समन्वयक, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिषद।
- 9. संचालक, पीएमएवाय/ रूरबन मिशन।
- 10. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा।
- 11. संचालक, सामाजिक अंकेक्षण।
- 12. संचालक, एसआईआरडी, जबलपुर।
- 13. संयुक्त आयुक्त, स्थापना (वि-2)।
- 14. अवर सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

## मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय

कमांक एफ 11-12/2020/1/9 प्रति,

भोपाल, दिनांक २ | / 09 / 2020

- अपर मुख्य सचिवं / प्रमुख सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासनं । शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 2. समस्त संभागायुंक्त
- 3. समस्त्र विभागाध्यक्ष
- 4. सगस्त कलेक्टर
- सगस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषय:-आत्म निर्भर मध्यप्रदेश-2020 के संदर्भ में सुशासन सेक्टर से संबंधित अनुशंसाओं पर 30 दिवस में:कार्यवाही आरंभ करने बावत् ।

संदर्भ:-इस विभाग का परिपन्न कमांक. एफ 11-19/2016/1/9 दि. 19.05.2018 एवं परिपन्न कमांक, एफ 11-39/2017/1/9 दि.24.10.17

उपरोक्त संदर्भित पंत्रों का कृपया अवलोकन करें। आत्म निर्मर मध्यप्रदेश—2020 के संदर्भ में सुशासन सेक्टर से संबंधित सरल कमांक—4(अनुशंसा कमांक—14) अंतर्गतं शासन में बेहतर पारदर्शिता(डिजिटलीकरण नॉलेज मैनेंजमेंट, हितग्राहियों की सूची) संबंधी अनुशंसा के बिन्दु कगांक—1 रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण एवं डाटा शुद्धता के संबंध में निर्देश जारी करना बिन्दु कमांक—2 बेस्ट प्रैक्टिस केस स्टडीज,नवाचार संकलन हेतु निर्देश जारी करना चिन्हित किया गया है। इप

2/ निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त संलग्न तालिका में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।।

संलग्न उपरोक्तानुसारः

(सुनील मंडावी) अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभा

silhan seleste produkt umo heleste produkt graglog/200:

निरंतर..2/

पृष्ठा. एफ 11-12/2020/1

प्रतिलिपि:-

राज्यपाल के महित, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।

अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर। 1.

प्रमुख सचिव सूचिव मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र.। 2.

मान.मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.। 3.

महालेखाकार मिप्र ग्वालियर भोपाल। 4.

रजिस्ट्रार जन्दिल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर। 5.

महनिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल। 6.

अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल। 7.

8.

प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव(स्थापना)/अधीक्षण मध्यप्रदेश अध्यक्ष. प्रोफेशनल एकजामिनेशन बोर्ड, भोपाल। 9. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय मोपाल। 10.

प्रमुख सचिवं मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल। 11.

सचिव,मध्यप्रदेशा राज्य निर्वाचन भोपाल। 12.

सचिव, लोकायुक्तं मध्यप्रदेश भोपाल। 13.

सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश इन्दौर। 14.

सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल। 15.

सचिव, मध्यप्रदेशःमानव अधिकार आयोग भोपाल। 16.

मुख्य सचिव केल्उप सचिव मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन भोपाल।

महाधिवक्ता, उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ 17. 18. 19. इन्दौर,ग्वालियरेगः

आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल।

समस्त जिला क्रोबालय अधिकारी, मध्यप्रदेश 20.

मुख्य लेखाधिकारी मंत्रालय, भोपाल। 21.

17:17

ALE.

1701 清华. 147 4.2.17 13. 417 19:4 11.

अध्यक्ष, मध्यप्रदेशः राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल। 22.

अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ म.प्र. की और सूचनार्थ है 23. 24. 14

अवरे सचिव मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विमाग

:13

## सामान्य प्रशासन विभाग

"सुशासन" सेक्टर से संबंधित अनुशंसाएँ जिन पर आगामी 30 दिवस में परिमाणम्लक कार्य प्रारंभ किए जाने हैं:-

स.इन.	अनुशंसा क्रमांक	अनुशंसा (आउटकम)	चिन्हित बिंदु
The second second second	8	शासकीय कर्मियों को आईटी के उपयोग हेतु दक्ष बनाना	1. ा.ग. में दक्षता वृद्धि हेतु अधिकारियां । 🗸 कर्मचारियों की सूची बनाना।
2	9	सरकारी अधिकारियों को नवीनतम तकनीक/तथ्यों के साथ खुद की अपडेट रखना	1. प्रदेश के उपयोग संबंधि नवीनतम टेक्नोलॉजी, तथ्यों एवं बेस्ट प्रेक्टिसेस की सूची तैयार करना।
	10	वल्लाभ अवन में ई-ऑफिस । केन्द्रीकृत डाक ट्यवस्था का क्रियानवयन	1. ई-ऑफिस प्रणाली की अध्यतन स्थिति अ का आकलन करना।
4	14	शासन में बेहतर पारदर्शिता (डिजिटलीकरण, नोलंज मेनेजमेंट, हितवाहियों की सूची)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
5	18	नागरिकों के लिए Ease of Living (Know your entitlement, लैंड टाइटल, लाइसेंस/परमिट, फेसलेस संपर्क)	संकलन हेतु निर्देश जारी करना।  1. विभागों में अधिकारों/शक्तियों के प्रत्यायोजन (delegation of powers) हेतु निर्देश जारी करना।
6	19	व्यापक केंडर समीक्षा	1. जानकारी संसकत हेतु निर्देश जारी करना।
7	21	आवश्यकता एवं सक्षमता का आंकलम	1. आवश्यकता एवं सक्षमता का आकंतन रहेतु निर्देश जारी करना।
3	22	पदोन्नति हेतु कौशत क्षमता में वृद्धि को तरजीह	1. पदोन्नित हेतु कौशल क्षमता में वृद्धि को तरजीह दिए जाने हेतु निर्देश जारी
9	24	सेवा निवृति पर देय स्वत्यों का एक मुश्त भुगतान	1. अगले 03 वर्षों में सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारी/ कर्मचारियों की पहचान